न्यायालय आर्बिटेटर (जिला कलक्टर), चूरू
पीठासीन अधिकारी - संदेश नायक, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, चूरू (राजस्थान)

प्रार्थना-पत्रा संख्या 62 सन् 2017   निर्णय दिनांक 11.04.2019

पन्नालाल पुत्र शुभकरण अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी ग्राम पोस्ट सिरसला, तहसील व जिला चूरू।

- प्रार्थीया

बनाम

1. केन्द्रीय सरकार जरिये सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. परियोजना प्रबन्धक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्लाट नंबर 187 व 188 विनायक विहार, पिपराली सर्किल, झुझुंनूं बाई पास, सीकर।
3. सक्षम प्राधिकारी, (भूमि अवाप्ति) एन.एच. 65 तहसील क्षेत्र चूरू एवं उपखण्ड अधिकारी, चूरू (जिला - चूरू)

- अप्रार्थीगण

पुर्नःविचार प्रार्थना-पत्र (Review Petition) प्रार्थना पत्र संख्या 25/2016 धारा 5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 निर्णय दिनांक 19.07.2017

उपस्थिति :-

1. श्री अन्तराम सोनी, अधिवक्ता - प्रार्थी
2. श्री अशोक कुमार शर्मा व श्री जगदीश प्रसाद कस्वां अधिवक्ता-अप्रार्थीगण

-:: निर्णय ::-

प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्रा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि अदालत हाजा में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र संख्या 25/2016 प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अदालत हाजा द्वारा दिनांक 19.07.2017 को निर्णय पारित किया गया है। इस न्यायालय में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना-पत्र में मुख्य रूप से निम्न चार बिन्दुओं का विवेचन करते हुए अनुतोष चाहा गया था।

1. भूमि की प्रकृति के संबंध में।
2. भूमि की रेट के संबंध में।

जिला कलेक्टर

3. निर्माणों पर लाभ के संबंध में।

4. क्षति(सोलिसियम) के संबंध में।

उक्त मे से बिन्दु संख्या "3" पर निर्णय दिनांक 19.07.2017 मे कोई विचार नही किया गया है एवं न ही निर्णय मे इस बात का तथ्य अंकित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति ने निर्माणों (संरचनाओं) का मुआवजे का अवार्ड दिनांक 28.04.2015 को घोषित किया है। प्रार्थी का मुआवजा एक्ट की भावना एवं भारत सरकार/रा.रा.मार्ग प्राधिकरण के दिशा निर्देश/परिपत्रों के प्रतिकूल है क्योंकि भारत सरकार ने सही मुआवजा निर्धारित के लिए The right of fair compensation and Transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2013 (30of 2013 है) (जिसे आगे 'भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013' संबोधित किया जाएगा) दिनांक 01.01.2014 से लागु किया है, जिसके सम्बन्ध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार एनएचएआई ने भी उक्त एक्ट के फस्ट शिडयूल के आधार पर दिनांक 01.01.2015 के बाद जारी होने वाले अवार्ड पर मुआवजा दिया जाना स्वीकार किया है। निर्माण के अवार्ड दिनांक 28.04.2015 को घोषित किया गया है। जो दिनांक 01.01.2015 के बाद घोषित किया गया अवार्ड है। भूमि अवाप्ति अधिकारी चूरू द्वारा भी उक्त नये अधिनियम के प्रोविजनों को स्वीकार करते हुए निर्माणों के अवार्ड दिनांक 23.06.2016 में सॉलिसियम राशि 100 प्रतिशत दी गई है। परन्तु निर्माण के अवार्ड दिनांक 28.04.2015 में भूमि अवाप्ति अधिकारी चूरू ने सहवन से निर्माणों के अवार्ड में यह देय 100 प्रतिशत सॉलिसियम राशि अंकित नही की जाकर भूल की गई है। पूर्व में इस बिन्दु की ओर अदालत हाजा का ध्यान आकर्षित किया गया था, परन्तु अदालत हाजा द्वारा सहवन से कोई निर्णय पारित नही हो पाया है। अन्त में प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त निर्माणों की मुआवजा में 100 प्रतिशत क्षति राशि एवं अन्तर राशि पर नियमानुसार 09 प्रतिशत ब्याज राशि दिलवाने की प्रार्थना की।

पुर्नः विचार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज दजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।

जिला कलेक्टर
चूरू

अप्रार्थीगण की ओर से अपने उत्तर में जाहिर किया गया कि अदालत हाजा द्वारा सम्पूर्ण अभिवचनों साक्ष्य व कानूनी प्रावधानों को मध्य नजर रखते हुए निर्णय दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही है, अगर प्रार्थी को निर्माण के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो प्रार्थी को अपील में जाना चाहिये था। प्रार्थी को निर्माण के संबन्ध में किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नही किया गया है तो इसका सिधा तात्पर्य यह है कि प्रार्थी द्वारा मांगा हुआ अनुतोष अस्वीकार कर दिया गया है। अदालत हाजा के आदेश में अपेरेन्ट ऐरर ऑन दा फेस ऑफ रिकार्ड नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुर्नः विचार प्रार्थना पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है, जो चलने योग्य नही है। अन्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुर्नः विचार प्रार्थना-पत्र मय विशेष हर्जा-खर्चा खारिज करने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्रा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थी के निर्माणों का अवार्ड दिनांक 28.04.2015 को जारी किया गया है। एनएचएआई द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद घोषित अवार्डो पर नये भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रथम सड्यूल को स्वीकार किया गया है। दिनांक 14.03.2014 को भूमि का अवार्ड घोषित किया गया तथा उक्त भूमि पर स्थित निर्माणों के दो अवार्ड दिनांक 28.04.2015 को जारी किये गये है जिनमें सोलिसियम व ब्याज राशि नही दी गई है। दिनांक 28.04.2015 को जारी अवार्ड में से शेष हितधारियों से संबन्धित निर्माण का पुरक अवार्ड दिनांक 23.06.2016 को भूमि अवाप्ति अधिकारी(एस.डी.एम.) चूरू द्वारा जारी किया गया। जिसमें निर्माणों पर सोलिसियम व ब्याज राशि दी गई है। जबकि प्रार्थी को सोलिसियम व ब्याज राशि नही दी गई है। जहाँ तक देरी से पुर्नः विचार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का प्रश्न है इस संबंध में अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 19.07.2017 की प्रति प्राप्त करने हेतु दिनांक 21.07.2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था जिसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 01.08.2017 को प्रार्थी को प्रदान की गई है। प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के पश्चात अन्दर मियाद पुर्नः विचार

जिला कलेक्टर
चूरू

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। अन्त में प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए उक्त निर्माणों की मुआवजा में 100 प्रतिशत क्षति राशि (सोलिसियम) एवं अन्तर राशि पर नियमानुसार 09 प्रतिशत ब्याज राशि दिलवाने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में पूर्व में दिए गए जवाब प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नही रही है। जो निर्णय अदालत हाजा द्वारा पारित किया गया है वो सही है। प्रार्थी को अदालत हाजा के निर्णय में किसी प्रकार त्रुटि प्रतीत होती है तो वो सक्षम न्यायालय में इसकी अपील कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2014 को भूमि का अवार्ड पारित किया गया एवं उसी भूमि के निर्माणों का अवार्ड दिनांक 28.04.2015 को पारित किया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 भूमि का अवार्ड पारित करते वक्त प्रभावी नही था। जिसके कारण प्रार्थी को सोलिसियम राशि नही दी गई है। अन्त में प्रार्थना-पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय के प्रार्थना-पत्र संख्या 25/2016 निर्णय दिनांक 19.07.2017 द्वारा आवासीय भूमि का व्यवसायिक रूपान्तरण करवाने के दस्तावेज प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किये जाने एवं पंचायतिराज अधिनियम व उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में आबादी भूमि के संबध में आवासीय व वाणिज्यिक प्रयोजन पृथक-पृथक दर्ज करने का प्रावधान है अथवा नही है के बिन्दू पर प्रकरण पुनः जांच करते हुए पुनः मुआंवजे के निर्धारण हेतु सक्षम प्राधिकारी को रिमाण्ड किया जा चुका है। सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जो अवार्ड जारी किया गया है वह दिनांक 28.04.2015 को जारी किया गया है, इसी दौरान भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू हो चुका था। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिये भूमि अधिग्रहण के मामलों में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार दर निर्धारण के प्रावधान दिनांक 01.01.2015 को लागू हुए है। दिनांक 28.04.2015 को जारी निर्माणों (Structures) के अवार्ड में सोलिसियम व ब्याज राशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नही दिये गये है। दिनांक 28.04.2015 को जारी निर्माणों

जिला कलेक्टर

अवार्ड में शेष रहे हितधारियों के लिये दिनांक 23.06.2016 को जारी अवार्ड में सोलिसियम व ब्याज राशि दिये गये है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दिनांक 01.01.2015 से एन.एच.ए.आई. पर प्रभावी है। जिसके अनुसार ही दिनांक 23.06.2016 का अवार्ड जारी किया है। भूमि का अवार्ड जारी किये जाने के पश्चात निर्माणों(Structures) के अवार्ड में प्रार्थी को भी सोलिसियम व ब्याज राशि का भुगतान करना चाहिये था। जबकि प्रार्थी को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार अवार्ड राशि का भुगतान नही किया गया है। जो सही नही है।

अत: प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर जारी अवार्ड दिनांक 28.4.2015 को निरस्त करते हुए प्रकरण को प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चूरू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थीया के निर्माणों की मुआवजा राशि की गणना भी दिनांक 23.06.2016 के अवार्ड अनुसार पुन: परीक्षण कर देय अवार्ड का पुनर्निधारण करें व अन्तर राशि का नियमानुसार ब्याज प्रार्थीया को दिया जावें।

पत्रावली नम्बर में से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चूरू को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2019 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(संदेश नायक),
आर्बिटेटर (जिला कलक्टर), चूरू